कार्यालय :– प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

पत्रांकः– 664 दिनांकः– 08/6/2021

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
झारखण्ड सरकार, राँची।

विषय :– **लातेहार जिला अन्तर्गत मौजा बारिखाप में 200 शैय्या का बालक/बालिका विद्यालय–सह–छात्रावास भवन निर्माण हेतु 1.99 हे0 जंगल–झाड़ी वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव FP/JH/Sch/36884/2018 के संबंध में।**

प्रसंग :– **वन विभागीय पत्रांक 3607 दिनांक 18.09.2019**

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में सूचित करना है कि विषयगत परियोजना प्रस्ताव संख्या– FP/JH/Sch/36884/2018 हेतु कुल 1.99 हे0 वनभूमि अपयोजन हेतु वन विभागीय पत्रांक 3607 दिनांक 18.09.2019 द्वारा कुल 13 शर्तो पर स्टेज–I की स्वीकृति प्रदान की गई है।

राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त **स्टेज–I** में लगायी गई शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन मुख्य वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर के पत्रांक 698 दिनांक 23.04.2021 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है। मुख्य वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर के प्रतिवेदनानुसार विभाग द्वारा प्रदत्त **स्टेज–I** में लगायी गई शर्तों का अनुपालन बिन्दुवार निम्नवत् है :–

क्र0सं0	शर्ते	अनुपालन
(i)	वन भूमि की वैधानिक स्थिति यथावत रहेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण को यह शर्त मान्य है। इस हेतु उनके द्वारा वचनबद्धता दी गई है। **Annexure-I**
(ii)	प्रयोक्ता अभिकरण से माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल याचिका संख्या – **WP(C)** 202/1995 में दिनांक 28.03.2008 को पारित आदेश के अनुरुप अपयोजित होने वाली 1.99 हे0 वन भूमि के **NPV** की राशि वसूलनीय होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा NPV मद में कुल राशि–1245740.00 रू0 मात्र CAMPA खाता सं0–150726236884430, IFSC Code-CORP0000371, Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11, CGO Complex, phase 1, Lodhi Road, New Delhi को MoEF/Portal द्वारा NEFT/RTGS Challan के माध्यम से ऑनलाईन जमा किया गया है। **Annexure-II**
(iii)	यदि **NPV** के दर में कोई संशोधन होता है, तो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बढ़ी हुई/ अन्तर राशि जमा करना बाध्यकारी होगा।	प्रयोक्ता अभिकरण को यह शर्त मान्य है। इस हेतु उनके द्वारा वचनबद्धता दी गई है। **Annexure-III**

(iv)	प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त राशि को **CAMPA** खाता में जमा करना होगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भिन्न–भिन्न मदों में जमा की गई राशि की विवरणी निम्नवत् है :– NPV मद में ——— 12,45,740.00 वृक्षारोपण मद में ——— 22,49,923.00 34,95,663.00 प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा कुल 34,95,663.00 (चौतिस लाख पंचानवे हजार छः सौ तिरेसठ) मात्र CAMPA खाता सं0– 150726236884430, IFSC Code- CORP-0000371, Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11, CGO Complex, phase 1, Lodhi Road, New Delhi को MoEF/Portal द्वारा NEFT/RTGS Challan के माध्यम से ऑनलाईन जमा किया गया है। **Annexure-IV**
(v)	प्रस्तावित वनभूमि में विद्यालय–सह– छात्रावास भवन निर्माण के क्रम में कम से कम वृक्षों का पातन किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में 44 वृक्षों से अधिक का पातन नहीं किया जायेगा। यदि वृक्षों का पातन आवश्यक हुआ तो वृक्षों का पातन वन प्रमण्डल पदाधिकारी से पूर्वानुमति प्राप्त कर ही किया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण को यह शर्त मान्य है। इस हेतु उनके द्वारा वचनबद्धता दी गई है। **Annexure-V**
(vi)	प्रस्तावित वनभूमि अपयोजन के क्रम में पातित किए जाने वाले वृक्षों के बदले 440 वृक्षों के रोपण (10 वर्षीय रख–रखाव सहित) की राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा देय होगी।	प्रयोक्ता संस्थान द्वारा मजदूरी प्रति मानव दिवस 257.29 रुपये के दर से दिनांक 29.10.2020 को CA की राशि 2249923/– रुपये CAMPA खाता सं0– 150726236884430, IFSC Code- CORP-0000371,Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11, CGO Complex, phase 1, Lodhi Road, New Delhi को MoEF/Portal द्वारा NEFT/RTGS Challan के माध्यम से ऑनलाईन जमा किया गया है। **Annexure-VI**
(vii)	विधालय–सह–छात्रावास निर्माण के उपरान्त जहाँ संभव हो सके वृक्षारोपण करना प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण को यह शर्त मान्य है। इस हेतु उनके द्वारा वचनबद्धता दी गई है। **Annexure-VII**
(viii)	भविष्य में यदि राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा कोई शर्त लगाई जाती है तो उन शर्तों का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण को बाध्यकारी होगा।	प्रयोक्ता अभिकरण को यह शर्त मान्य है। इस हेतु उनके द्वारा वचनबद्धता दी गई है। **Annexure-VIII**
(ix)	वनभूमि पर किसी प्रकार का **Labour Camp** स्थापित नहीं किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण को यह शर्त मान्य है। इस हेतु उनके द्वारा वचनबद्धता दी गई है। **Annexure-IX**

(x)	यदि गैर वनभूमि पर **Labour Camp** स्थापित किया जाता है तो परियोजना के कार्यरत मजदूरों को ईंधन परियोजना खर्च पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा एवं तदनुसार एवं वितरण पंजी रखी जायेगी जिसकी समय–समय पर वन विभाग के पदाधिकारियों/ कर्मचारियों द्वारा जांच की जायेगी ताकि आस–पास के वनों को क्षति से बचाया जा सके।	प्रयोक्ता अभिकरण को यह शर्त मान्य है। इस हेतु उनके द्वारा वचनबद्धता दी गई है। **Annexure-X**
(xi)	परियोजना में कार्यरत मजदूरों/ठेकेदारों द्वारा परियोजना स्थल के आस–पास के वन एवं वन्य प्राणियों को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी यह प्रयोक्ता अभिकरण को सुनिश्चित करना होगा।	प्रयोक्ता अभिकरण को यह शर्त मान्य है। इस हेतु उनके द्वारा वचनबद्धता दी गई है। **Annexure-XI**
(xii)	अपयोजित होने वाली वन भूमि का उपयोग इस परियोजना से अन्य कार्यों के लिए नहीं किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण को यह शर्त मान्य है। इस हेतु उनके द्वारा वचनबद्धता दी गई है। **Annexure-XII**
(xiii)	उपर्युक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का अनुपालन नहीं होने के स्थिति में संबंधित वन प्रमण्डल पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक के माध्यम से राज्य सरकार को सूचित करेंगे एवं संबंधित वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् भारत सरकार के दिशा निर्देश के अनुरुप कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी।	संबंधित वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लातेहार वन प्रमण्डल द्वारा अनुश्रवण किया जायेगा।

स्टेज–I में लगायी गई सभी शर्तों का प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालन किया गया है, अथवा वचनबद्धता दी गई है। परन्तु प्रयोक्ता अभिकरण से अभी तक ऑन–लाईन अनुपालन प्रतिवेदन अप्राप्त है। इस हेतु क्षेत्रीय पदाधिकारियों एवं प्रयोक्ता अभिकरण को निदेशित किया जा रहा है। प्राप्त होने पर अलग से भेज दिया जायगा।

मुख्य वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर द्वारा प्राप्त अनुपालन प्रतिवेदन की तीन प्रतियाँ इस पत्र के साथ संलग्न करते हुए अनुरोध है कि विषयगत परियोजना हेतु कुल 1.99 हे0 वनभूमि अपयोजन के लिए अंतिम स्वीकृति प्राप्ति हेतु अग्रत्तर कार्रवाई करने की कृपा की जाय। संचिका में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF), झारखण्ड, राँची का अनुमोदन प्राप्त है।

अनु0:–यथोक्त।
अनुपालन प्रतिवेदन– 3 प्रतियों में।

विश्वासभाजन
(हस्ताक्षर) 8/6

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक 664   दिनांक 08/6/2021

प्रतिलिपि :– क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू/परियोजना निदेशक, आई0टी0डी0ए0, लातेहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि स्टेज–I में लगाई गई शर्तो का ऑन–लाईन अनुपालन प्रतिवेदन अविलम्ब इस कार्यालय में उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

(हस्ताक्षर) 8/6

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

कार्यालयः मुख्य वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर।
Office of chief Conservator of Forests, Territorial Circle, Medininagar.
ईमेल / Email: cf-medininagar@gov.in
दूरभाष /Phone: 06562-224953 Mobile No-8987790232

पत्रांक– 698

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, –सह– कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड,
झारखण्ड, राँची

मेदिनीनगर, दिनांकः– 23/4/2021

विषयः– 200 शय्या बालक / बालिका विद्यालय–सह–छात्रावास भवन निर्माण हेतु 1.99 हे. (4.92 एकड़) जंगल–झाड़ी (**Deemed Forest**) वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंगः– वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार, का पत्रांक वन–भूमि–48 / 2019–3607 दिनांक 18.09.2019 एवं वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लातेहार वन प्रमण्डल का पत्रांक 695 दिनांक 13.04.2021

महाशय,

उपयुर्क्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लोतहार वन प्रमण्डल ने अपने पत्रांक 695 दिनांक 13.04.2021 द्वारा 200 शय्या बालक / बालिका विद्यालय –सह–छात्रावास भवन निर्माण हेतु 1.99 हे. जंगल–झाड़ी (Deemed Forest) वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव में झारखण्ड सरकार द्वारा स्टेज–1 की स्वीकृति में लगाये गये 12 शर्तों का अनुपालन एवं बचनबद्धता प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है।

इस कार्यालय का ज्ञापांक 684 दिनांक 17.04.2021 के द्वारा विषयक मामले की संचिका वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 4542 दिनांक 08.10.2014 के द्वारा प्राप्त निर्देश के आलोक में मूल संचिका क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू, मेदिनीनगर की अनुमोदन प्राप्त करने हेतु भेजी गयी। क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू, मेदिनीनगर के पत्रांक 993 दिनांक 19.4.21 द्वारा प्राप्त अनुमोदन के आलोक में प्रस्ताव की **पाँच प्रतियाँ** इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजी जा रही हैं।

अनु:0 यथोक्त।

विश्वासभाजन,

मुख्य वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल मेदिनीनगर।

P.F-10

152

कार्यालयः मुख्य वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर।

Office of chief Conservator of Forests, Territorial Circle, Medininagar.

ईमेल/Email: cf-medininagar@gov.in

दूरभाष/Phone: 06562-224953 Mobile No-8987790232

पत्रांक–

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, –सह– कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड,
झारखण्ड, राँची

मेदिनीनगर, दिनांकः–

विषयः– 200 शयुया बालक/बालिका विद्यालय–सह–छात्रावास भवन निर्माण हेतु 1.99 हे. (4.92 एकड़) जंगल–झाड़ी (**Deemed Forest**) वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंगः – वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार, का पत्रांक वन–भूमि–48/2019–3607 दिनांक 18.09.2019 एवं वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लातेहार वन प्रमण्डल का पत्रांक 695 दिनांक 13.04.2021

महाशय,

उपयुर्क्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लोतहार वन प्रमण्डल ने अपने पत्रांक 695 दिनांक 13.04.2021 द्वारा 200 शयुया बालक/बालिका विद्यालय –सह–छात्रावास भवन निर्माण हेतु 1.99 हे. जंगल–झाड़ी (Deemed Forest) वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव में झारखण्ड सरकार द्वारा स्टेज–1 की स्वीकृति में लगाये गये 12 शर्तों का अनुपालन एवं बचनबद्धता प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है।

इस कार्यालय का ज्ञापांक 684 दिनांक 17.04.2021 के द्वारा विषयक मामले की संचिका वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 4542 दिनांक 08.10.2014 के द्वारा प्राप्त निर्देश के आलोक में मूल संचिका क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू, मेदिनीनगर की अनुमोदन प्राप्त करने हेतु भेजी गयी। क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू, मेदिनीनगर के पत्रांक 993 दिनांक 19.4.21 द्वारा प्राप्त अनुमोदन के आलोक में प्रस्ताव की **पाँच प्रतियाँ** इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजी जा रही हैं।

अनुः0 यथोक्त।

विश्वासभाजन,
ह0/–
मुख्य वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल मेदिनीनगर।

P.F-10

P.T.O.

ज्ञापांक....................../ दिनांक............................../

प्रतिलिपिः—क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू, मेदिनीनगर को उनके पत्रांक 993 दिनांक 19.4.2021 के क्रम में प्रस्ताव की एक प्रति के साथ सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/—
मुख्य वन संरक्षक,
प्रादेशिक अचंल, मेदिनीनगर

ज्ञापांक 698 / दिनांक 23/4/2021

प्रतिलिपिः— वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लातेहार वन प्रमण्डल को उनके पत्रांक 695 दिनांक 13.04.2021 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मुख्य वन संरक्षक,
प्रादेशिक अचंल, मेदिनीनगर

23/4/2021

P.F-10